AMROHA POLICE

थाना आदमपुर

प्रेस विज्ञप्ति , दिनांक 16.11.2026

02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार व बरामदगी

****

श्रीमान पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री लखन सिंह यादव द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया के मार्गदर्शन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी हसनपुर श्री पंकज कुमार त्यागी के निकट पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान थानाध्यक्ष कोमल तोमर थाना आदमपुर के कुशल नेतृत्व में थाना आदमपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 234/26 धारा103(1)/238(a) /3(5) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर सम्बन्धित मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी अभियुक्तः-

1.नेमपाल पुत्र खचेडू निवासी ग्राम चकूनी थाना सैदनगली जनपद अमरोहा
2.राजू पुत्र हरप्रसाद निवासी ग्राम गवा थाना रजपुरा जनपद सम्भल

बरामदगीः-

हत्या मे प्रयुक्त एक अदद हथोडी व घटना मे प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 05.11.2026 को थाना आदमपुर पर अनीता पुत्री प्रकाश निवासी ग्राम पुरसल थाना आदमपुर जनपद अमरोहा की अनीता के भाई मानू पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम पुरसल थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ने गुमशुदगी दर्ज करायी थी। दिनांक 15.11.2026 को मानू पुत्र प्रकाश निवासी उपरोक्त ने थाना हाजा आकर एक तहरीर अपनी बहन अनीता की उसके पति द्वारा हत्या कर देने के सम्बन्ध मे लाकर दी तथा मानू ने बताया कि अपनी बहन अनिता पुत्री प्रकाश नि0 ग्राम पुरसल थाना आदमपुर उम्र 38 करीब वर्ष की शादी 2007 मे नेमपाल पुत्र खचेडू नि0 ग्राम चकूनी थाना सैदनंगली उम्र करीब 40 वर्ष के साथ की थी। लेकिन नेमपाल मेरी बहन के ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगता था इसी बात को लेकर मेरी बहन व बहनोई में अन बन रहती थी । इसी कारण मेरी बहन पिछले 5 साल से गजरौला व दिल्ली में रहकर कंपनी में काम करती थी । इसी बात की रंजिश मानते हुए नेमपाल व नेमपाल के भांजे राजू पुत्र हरप्रसाद नि0 ग्राम गंवा थाना रजपूरा संभल उम्र करीब 22 वर्ष ने आपस में प्लान बनाया की अनिता चरित्रहीन औरत हैं इसका खात्मा कर देते हैं अतः इन्होने प्लान के मुताबिक दिनांक 05.11.2026 को राजू के घर गंवा मे अनीता की हत्या कर उसके शव को राजू के घर के पीछे ही राजू के खेत मे ही गड्डा खोदकर दबा दिया था। मृतका के भाई मानू द्वारा दी

गई तहरीर के आधार पर दिनांक 15/11/2026 को हसनपुर सर्किल क्षेत्राधिकारी व नायब तहसीलदार मनोज कुमार को सूचित किया गया तथा सूचना पर उपरोक्त पर सभी अधिकारीगण मौके पर पहुँचे नायब तहसीलदार द्वारा बताया गया कि यह क्षेत्र तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल का है अतः मौके से ही नायब तहसीलदार द्वारा सम्बन्धित को रिपोर्ट प्रेषित कर सम्भल जिले से नामित मजिस्ट्रेट अनुज कुमार मौके पर आये तथा मृतका अनिता के संबंध में सभी को सूचित किया गया अतः वादी की सूचना के मुताबिक शव को निकलवाने हेतु जेसीबी बुलायी गयी तथा जेसीबी बुलाकर वीडियोग्राफी कराते हुये राजू के मकान के पीछे करीब 04 फिट गहरे गड्डे में खुदायी करायी तो करीब 03 फीट नीचे मृतका अनिता का शव दिखायी दिया। शव को वादी मानू को दिखाया गया तो मानू ने पहचान कर बताया की यह मेरी बहन अनिता का शव है। मृतका अनीता के शव को अमरोहा व सम्भल पुलिस की संयुक्त कार्यावाही व नायब तहसीलदार की निगरानी में पंचायतनामा तैयार किया गया बाद पंचायतनामा की कार्यवाही के शव को पोस्टमार्टम हेतु मौर्चरी हाउस बहजोई संभल भिजवाया गया। तथा इसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 234/26 धारा103(1)/238(a) /3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिसमे दोनो अभियुक्तगण वांछित थे जिन्हे आज दिनांक 16.11.2026 को थाना आदमपुर पुलिस द्वारा आदमपुर रहरा तिराहे से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1.थानाध्यक्ष कोमल तोमर थाना आदमपुर जनपद अमरोहा
2.उ0नि0 श्री रामनिवास थाना आदमपुर जनपद अमरोहा
3.का0 770 मौ0 हिलाल थाना आदमपुर जनपद अमरोहा
4.का0 82 जयवीर थाना आदमपुर जनपद अमरोहा
5.का0 1402 कपिल राठी आदमपुर जनपद अमरोहा

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0 258/2018 धारा 363/36 भादवि बनाम राजू पुत्र हरप्रसाद निवासीग्राम कस्बा गंवा थाना रजपुरा (सम्भल)

